न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00195RAAJodhpur2019-101RTA225 lachchharam Vs Khumaram etc

लच्छाराम पुत्र श्री पोलाराम जी, जाति सुथार, निवासी- मेहराम नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. खुमाराम पुत्र श्री हजारीराम, जाति सुथार, निवासी- मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र लाबूराम, जाति सुथार, निवासी- मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. भंवराराम पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. नेनाराम पुत्र श्री लाबूराम जाति सुथार, निवासी- खेमे का कुआँ, पाल रोड़ जोधपुर।
5. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम, जाति सुथार, निवासी- सुभाष नगर, पाल रोड़ जोधपुर।
6. चैनाराम पुत्र तुलछाराम जाति सुथार, निवासीगण- सुथारों की ढाणी मेहरामनगर, जानादेसर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2018 लच्छाराम बनाम खुमाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. दो, चार व पांच

श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 09 नवंबर 2023

19/11/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2018 अनवान लच्छाराम बनाम खुमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 159 रकबा 15.02 बीघा ग्राम मेहराम नगर के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 159 रकबा 15.12 बीघा पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में भी खसरा नं. 159 मौजा मेहराम नगर पर अपीलांट का कब्जा काश्त माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने यह भली भांति साबित किया कि नामांतरकरण संख्या 242 जो कि बंटवाड़ा के आधार पर भरा गया था। उक्त बंटवाड़ा को अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील के जरिये चुनौती दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को केवल पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। इसलिए

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 159/1 रकबा 4.01 बीघा का खातेदार है जो वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी से स्पष्ट है। किंतु अपीलांट ने अपने आप को मूल खसरा नं. 159 संपूर्ण का खातेदार बताते हुए दावा पेश कर संपूर्ण मूल खसरे पर अस्थाई निषेधज्ञा चाही है जो कानूनन देय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं मानते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2069-2072 ग्राम मेहरामनगर तहसील लूणी के मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 159/1 रकबा 4.01 बीघा का रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। मूल खसरा नं. 159 का शेष रकबा 4.01 बीघा तथा 7.10 बीघा रेस्पोडेंट्स के नाम से दर्ज है। उपलब्ध अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि अपीलांट न तो उक्त संपूर्ण रकबे का खातेदार है तथा न ही उक्त

09.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संपूर्ण रकबे बाबत खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही है। ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध संपूर्ण रकबे पर अस्थाई जारी किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा अधीनस्थ न्यायालय के मत से सहमत होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2018 अनवान लच्छाराम बनाम खुमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर